प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
का कार्यालय, तेलंगाना
सैफाबाद, हैदराबाद – 500004

OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), TELANGANA,
SAIFABAD, HYDERABAD - 500004

निविदा आमंत्रण सूचना

विषय: अप्रचलित आईटी परिसंपत्तियों एवं ई-वेस्ट वस्तुओं के निपटान हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) के अधीन पंजीकृत/पंजीकृत ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स/ई-वेस्ट के पूर्व-प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा अधोलिखित समय-सारणी के अनुसार "संलग्नक-II" में उल्लिखित अप्रचलित/पुराने और गैर-कार्यशील ई-वेस्ट वस्तुओं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस एवं इसके पेरिफेरल्स, फोटोकॉपियर, इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल सामान आदि के निपटान हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

i. निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय: 28-10-2026 (अप. 03:00 बजे)
ii. बिड जमा करने की आरंभ तिथि एवं समय: 28-10-2026 (अप. 05:00 बजे)
iii. बिड जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 04-11-2026 (अप. 02:00 बजे)
iv. बिड प्रारंभ की तिथि एवं समय: 04-11-2026 (अप. 03:00 बजे)

यह कार्यालय यहाँ संलग्न विस्तृत नियमों एवं शर्तों, मूल्य उद्धरण और संलग्नक-I में भरे हुए प्रोफार्मा के अनुसार पुराने और गैर-कार्यशील आईटी परिसंपत्तियों के निपटान हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है। विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में मुहरबंद कोटेशन **वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सू.प्र.स्कंध), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद - 500004** के पते पर प्रेषत करें।

4. निविदा दस्तावेज निम्नलिखित वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं - https://cag.gov.in/au/telangana/en/tenders.
5. **बिड का मूल्यांकन:** पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन और सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करने के पश्चात् आरक्षित मूल्य से अधिक की उच्चतम वैध बिड स्वीकार की जाएगी.
6. **कार्य गतिविधि का दायरा:** बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में संग्रहण, परिवहन, विखंडन, डीगाउसिंग, रीसाइक्लिंग/अंतिम निपटान शामिल होना चाहिए।
   क. **संग्रहण:** निपटान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संग्रहण।
   ख. **परिवहन:** एकत्रित ई-वेस्ट को वांछित स्थान पर ले जाना।

ग. **विखंडन:** ई-वेस्ट का विखंडन।

घ. **डीगाउसिंग:** ई-वेस्ट से निकलने वाले अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र को कम करना या समाप्त करना।

ङ. **रीसाइक्लिंग/अंतिम निपटान:** अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के घटकों और कच्चे माल को अलग करना।

निविदा सारांश:

वस्तुओं की प्रकृति: 43 अप्रचलित आईटी हार्डवेयर यूनिट (विस्तृत वस्तु सूची के लिए संलग्नक-II देखें)

श्रेणी: ई-वेस्ट

आरक्षित मूल्य: ₹35,000 (रुपये पैंतीस हजार मात्र)

निविदा का प्रकार: खुली निविदा (एकल बोली प्रणाली)

सामान्य नियम एवं शर्तें

3.1. बोलीदाताओं को संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्नक-II) के अनुसार एकल रूप से नहीं, बल्कि संपूर्ण वस्तुओं के लिए अपनी दरें बिना किसी शर्त के उद्धृत करनी चाहिए।

3.2. ई-वेस्ट से संबंधित पंजीकृत फर्मों से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और पंजीकृत फर्मों के अलावा अन्य फर्मों से प्राप्त बोलियों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं/अधिकृत ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स को कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस और इसके पेरिफेरल्स, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के ई-वेस्ट सामानों के संग्रहण/निपटान के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से अपने नाम/संगठन में प्राप्त प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3. बोलीदाता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार) या किसी भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत ई-वेस्ट का पंजीकृत रीसाइक्लर/पूर्व-प्रसंस्करणकर्ता होना चाहिए।

3.4. सभी बोलीदाताओं को ई-वेस्ट (प्रबंधन नियम), 2022 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान/रीसाइक्लिंग के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इसके बाद अधिसूचित किसी भी अन्य अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5. यह कार्यालय किसी भी या सभी बोलीदाताओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी बोलीदाता को लगता है कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं

किया गया है और/या उसकी निविदा को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है, तो वह अपना अभ्यावेदन ई-मेल (iswing.tel.au@cag.gov.in) के माध्यम से भेज सकते है।

3.6. संलग्नक-II में उल्लिखित वस्तुओं को या तो अप्रचलित या ई-स्क्रैप घोषित किया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित वस्तुओं से कुछ हिस्से हटाए जा चुके हो सकते हैं। ये वस्तुएं प्र.म.ले.(लेप.) स्टोर्स में उपलब्ध हैं।

3.7. बोलियाँ प्रारंभ होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध रहनी चाहिए। कम वैधता अवधि वाली बोलियों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

3.8. सर्वोच्च स्वीकार्य उत्तरदायी बोलीदाता (एच-1) द्वारा इस कार्यालय के कैशियर के पास वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/बिल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, हैदराबाद के पक्ष में आरेखित क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक के रूप में पूरी राशि जमा करने के बाद, आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर "यथास्थिति" सामग्री हटा ली जानी चाहिए। यदि एक से अधिक बोलीदाता होते है, तो उच्च रीसाइक्लिंग प्राधिकरण वैधता और अनुभव वाले बोलीदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.9. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक के रूप में ₹1,050/- (एक हजार पचास रुपये मात्र) की अग्रिम राशि बोलीदाताओं द्वारा अपने विधिवत भरे हुए बोली दस्तावेजों के साथ जमा की जानी चाहिए। सफल बोलीदाता के अनुरोध पर अंतिम भुगतान के विरुद्ध अग्रिम राशि का समायोजन किया जा सकता है या निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अप्रचलित सामग्री हटाए जाने के बाद अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी और इसके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की वसूली बोलीदाता से की जाएगी।

3.9. यदि आवश्यक हो, तो संभावित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा इस कार्यालय परिसर में अप. 3:00 बजे से 4:00 बजे के बीच सामग्री का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रश्न उठाए जाएंगे। उपर्युक्त निरीक्षण के बाद कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।

3.10. नीलामी की गई वस्तुओं को साइट से हटाते समय इस कार्यालय की मौजूदा संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत कामगार/पर्यवेक्षक की लापरवाही या कार्रवाई के कारण किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि/क्षति या चोट या व्यक्तिगत दुर्घटना की क्षतिपूर्ति सफल ठेकेदार द्वारा करनी होगी।

3.11. सामान/सामग्री इस कार्यालय के नामित अधिकारी (अधिकारियों) की देखरेख में हटाई जाएगी। आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर सामग्री हटानी होगी। सामान्य परिस्थितियों में समय में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। हालांकि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, हैदराबाद, सफल/चयनित बोलीदाता द्वारा लिखित में ऐसी देरी का पूरा कारण बताए जाने पर 2 दिनों तक का विस्तार दे सकते हैं। तथापि, इस कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से, देरी के उचित

स्पष्टीकरण के बिना अत्यधिक देरी के कारणों के लिए दिए गए वर्क ऑर्डर को रद्द करने और अग्रिम राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.12. सामान/सामग्री को केवल कार्यलय अवधि के दौरान ही हटाने की अनुमति दी जाएगी। चयनित विक्रेता को सभी ई-वेस्ट वस्तु ले जाने होंगे, न कि चुनिंदा रूप से, जिसके लिए पैकेजिंग और परिवहन की व्यवस्था विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी। इस कार्यालय पर ऐसे खर्चों की कोई देनदारी नहीं है।

3.13. विक्रेता को जहां भी उपलब्ध हो, स्टोरेज मीडिया का ऑनसाइट निपटान करना होगा। किसी भी स्थिति में, ई-वेस्ट के संग्रहण से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।

3.14. साइट पर उपकरण की वितरण सहित प्रासंगिक सेवाओं और कमीशनिंग के संबंध में सभी लागू करों, शुल्कों, लेवी, करों, लागतों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्क, सड़क परमिट आदि के लिए विक्रेता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सू.प्र.स्कंध)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय
तेलंगाना, हैदराबाद

संलग्नक - I

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, तेलंगाना, हैदराबाद के कार्यालय से अप्रचलित वस्तुओं (ई-वेस्ट वस्तुओं) की खरीद हेतु बोलियां प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा

1. फर्म का नाम और पता:

2. संपर्क व्यक्ति का नाम:

3. टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी:

4. पैन/टैन (PAN/TAN) नंबर:

5. कोटेशन:
   क. राशि रु. में:
   ख. राशि (शब्दों में) रु. -

6. क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ई-वेस्ट प्राधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है: हाँ/नहीं
7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पंजीकरण विवरण:

संलग्नक - II

क्र.सं.	परिसंपत्ति का नाम	संख्या
1	डेस्कटॉप	03
2	लैपटॉप	29
3	प्रिंटर	10
4	यूपीएस	01
कुल		**43**